दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: PLEXH/Cir/973

दिनांक: 23 मार्च , 2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय सदस्य,

विषय: निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत पूर्व और पश्चात निर्यात ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी सहायता संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन के संबंध में

डीजीएफटी ने 20 मार्च 2026 को व्यापार सूचना संख्या 33/2025-26 जारी की है, जिसमें *निर्यात संवर्धन मिशन - निर्यात प्रोत्साहन* के तहत पूर्व और पश्चात शिपमेंट निर्यात ऋण पर ब्याज सब्सिडी समर्थन के लिए परिचालन दिशानिर्देशों में संशोधन और स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए हैं ।

परिचालन में स्पष्टता और निश्चितता के लिए ये संशोधन और परिवर्धन जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें यहाँ देखा जा सकता है: https://membership.plast icsepc.org/mails_images/202603 23044054.pdf

Ø ब्याज सब्सिडी केवल 2 जनवरी 2025 को या उसके बाद वितरित निर्यात ऋण (प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट) के संबंध में ही स्वीकार्य होगी। व्यापार सूचना जारी होने से पहले (अर्थात 2 जनवरी 2026 से पहले) वितरित निर्यात ऋण (प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट) इसके लिए पात्र नहीं होगा।

यदि निर्यात ऋण 2 जनवरी 2026 के बाद वितरित किया गया है, तो ब्याज सब्सिडी सहायता ऋण वितरण की तिथि से लागू होगी, बशर्ते कि यूआईएन/यूडीआईएन वितरण की तिथि पर जनरेट और बैंक को जमा कर दिया गया हो। इसका अर्थ यह है कि जिन मामलों में ऋण वितरित तो हो गया है, लेकिन यूआईएन जनरेट नहीं हुआ है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा।

यदि किसी ऋण सुविधा का नवीनीकरण अतिरिक्त राशि के साथ किया जाता है, तो केवल वितरित की गई अतिरिक्त राशि को ही नए ऋण के रूप में माना जाएगा और निर्यात ऋण वितरण की तिथि पर लागू दर पर सब्सिडी के लिए पात्र होगी। बकाया राशि पर मूल वितरण के समय लागू सब्सिडी दर लागू रहेगी।

यूआईएन/यूडीआईएन के संबंध में, यूआईएन/यूडीआईएन जनरेट करने के लिए आवेदन करते समय, आईईसी की स्थिति ऑनलाइन सिस्टम द्वारा सत्यापित की जाती है। इसके अलावा, बैंक डीजीएफटी वेबसाइट पर भी आईईसी की स्थिति सत्यापित कर सकते हैं। साथ ही, आईईसी सत्यापन के लिए बैंकों के सिस्टम द्वारा उपयोग हेतु एपीआई सेतु पर ओपन एपीआई होस्ट किए गए हैं।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे इन संशोधनों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और अनुपालन सुनिश्चित करने और समय पर दावा प्रस्तुत करने के लिए अपने ऋण संस्थानों के साथ समन्वय करें।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सस्नेह,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल